कार्यालय – वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा
वन भवन, स्थान+पो0+जिला – चतरा, झारखण्ड – 825401
Telefax – 06541-253690, Email – cf-chatra@gov.in

पत्रांक – दिनांक –

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

विषय– मे0 सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि0 द्वारा पुरनाडीह ओ0सी0पी0 परियोजना हेतु 323.49 हे0 वनभूमि अपयेाजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक F.No. 8-61/2018 FC DFA-I दिनांक 22.08.2019 तथा F.No. 8-61/2018 FC DFA-II दिनांक 22.08.2019 तथा आपका पत्रांक 2161 दिनांक 18.08.2021

महाशय,

आपके द्वारा उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से भारत सरकार के प्रासंगिक पत्रों द्वारा की गई पृच्छा कंडिकाओं का जबाव अपयोजनकर्ता से प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ भेजा गया है जो कि निम्न प्रकार अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण एवं मूल प्रश्न के अनुरूप नहीं है तथा इसमें अपेक्षित सुधार/पूर्ण विवरणी को समावेशित किया जाना आवश्यक है :–

(A) F.No. 8-61/2018 FC DFA-I दिनांक 22.08.2019 से संबंधित :–

Condition no. 2 :– इस शर्त के माध्यम से 81.20 हे0 भूमि का status report माँगा गया है जिसमें आपके एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह अंकित किया गया है कि 81.20 हे0 भूमि को प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया है परन्तु आपके अथवा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका कारण नहीं दर्शाया गया है क्यों इसे शामिल नहीं किया है तथा यह भी नहीं बताया गया कि वर्तमान में उस भूमि की क्या स्थिति है।

Condition no. 5 :– आपके द्वारा विद्वान महाधिवक्ता झारखण्ड के अपूर्ण मंतव्य (incomplete opinion) को संलग्न किया है जो कि स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार का opinion मामले को confuse करने का कार्य कर रहा है। अतः तत्काल इसका जिक्र नहीं किया जाय एवं पूर्ण opinion प्राप्त कर बाद में भेजा जाय। उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.07.2011 को I.A No. 1868, 2091, 2225-227, 2380, 2568 & 2937, जो सिविल रिट 202/95 के अंतर्गत दायर की गई थी, में निम्नलिखित निदेश दिया गया था –

" Completion of the exercise undertaken by each state/U.T. Government was directed to constitute as expert committee to indentify the areas which are forests irrespective of whether they are so notified, recognized or classified under any law and irrespective of the land of such forests and the areas which were earlier forest but stand degraded, denuded and cleared, culminating in preparation of Geo-referenced district forest maps containing the details of the location and boundary of each plot of land that may be defined as forest for the purpose of forest conservation Act 1980"

संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस मामले में अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है।

Condition no. 6 :– इस मामले में आपके द्वारा अत्यंत ही सतही एवं गोलमटोल जबाव समर्पित किया गया है। इस मामले में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित जबाव को अमान्य करते हुए खनन कार्य शुरू होने के समय से खनन कार्य बन्द होने की तिथि तक के महाप्रबंधकों एवं परियोजना पदाधिकारियों का नाम पताकर उसे अंकित करते हुए उनके विरूद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 3A एवं 3B में प्रस्ताव संलग्न करते हुए जबाव भेजा जाय। उल्लेखनीय है कि अद्यतन Handbook of guidelines for effective and transparent implementation of the provisions of Forest Conservation Act 1980 (दिनांक 28 मार्च 2019) के कंडिका 1.21 (i) (b) में इस प्रकार के खनन पट्टों के लिए निम्नलिखित अनुपालन प्रस्तावित किया गया है :–

b. If the permission for use of forest land for non-forestry purposes have been granted by the State authority without the prior approval of the central government under section 2 of the Forest Conservation Act 1980 then action under section 3A and /or 3B of FC Act, as may be applicable, shall be taken against the authority causing the diversion. A report with full details of violation shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department of the State to the Ministry of Environment, Forests & Climate Change Government of India, New Delhi and formal enquiry shall be conducted by the Regional Office of the MoEF&CC.

अतः अपना जबाव guideline के परिपेक्ष्य में भेजना सुनिश्चित करें।

Condition no. 7 :– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस परियोजना के विरूद्ध कुल 24.95 हे0 खनन कार्य पूर्ण हो चुके वनभूमि में reclaimation की विवरणी अंकित करते हुए नक्शा सीधे इस कार्यालय को भेजा गया है। यद्यपि इस नक्शे की जाँच आपके वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है तथापि इन नक्शों पर आपका हस्ताक्षर आवश्यक है। अतः इन नक्शों की 09 (नौ) प्रतियों को इस पत्र के साथ आपको भेजा जा हा है। इन नक्शों/ reclaimation का जाँच अपने स्तर से करके तथा उसकी विवरणी condition compliance में अंकित करते हुए भेजना सुनिश्चित करें।

(B) F.No. 8-61/2018 FC DFA-II दिनांक 22.08.2019 से संबंधित :–

(1) Is there any provision of lease area in CB Act 1957 :– आपका मंतव्य प्रश्न के अनुरूप नहीं है। यह निम्नवत् होना चाहिए :–

There is no any provision of lease area in forest land/deemed forest land (Jungle Jhari) in CB Act 1957 as the prior approval of Govt. of India u/s 2 of Forest Conservation Act in mandatory before grant of lease.

(2) Can project area for which mining plan is approved by competent authority shall be taken as single lease area to analyse the fait accompli situation as reffered by Hon'ble Supreme Court in their Laffarge Umium v/s union of india case in 2011 :– इस मामले में भी आपका जबाव प्रश्न के अनुसार नहीं है। इसका जबाव निम्नवत् होना चाहिए :–

Yes, the project area for which mining plan is approved by competent authority shall be taken as single lease area to analyse the fait accompli situation as reffered by Hon'ble Supreme Court in their Laffarge Umium v/s union of india case in 2011 but with following all the guidelines/orders/explanations issued by Government of India/Hon'ble Supreme Court in the matter related to Forest Conservation Act 1980.

(3) Can forest land be acquired under CB Act 1957 :– इसका जबाव भी आपके द्वारा नियमानुसार नहीं दिया गया है। इसका जबाव निम्नवत् होना चाहिए :– " Forest Land cannot be acquired under CB Act 1957 without prior approval of Govt. of India under the provision of Sec. 2 of Forest Conservation Act 1980. As the Forest Conservation Act has got 'non-obstance' clause and it will have over riding effect on CB Act 1957.

उल्लेखनीय है कि अद्यतन Handbook of guidelines for effective and transparent implementation of the provisions of Forest Conservation Act 1980 (दिनांक 28 मार्च 2019) के कंडिका 7.6 में स्पष्ट अंकित है कि :– User Agency shall apply for diversion of forest land for coal mining under the FCA, 1980, in respect of entire forest land within a coal mine project in the case of coal mines in/over an area vested in a Government Company under the Coal Bearing Area Act 1957, or a coal mine vested in a Government under the Coal nationalization act 1973, or a coal block allotted under Allocation of coal blocks, Coal Blocks Allocation Rules, 2017 under the MMDR Act 1957, including at the time of renewal.

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आपके द्वारा इस कार्यालय में समर्पित बिन्दुवार अनुपालन की 08 (आठ) प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न वापस करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों का जबाव में शामिल करते हुए तथा अपूर्ण सूचनाओं की पूर्ण विवरणी शामिल करते हुए यथाशीघ्र अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें ताकि इस मामले में अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके। विषय की महत्ता को देखते हुए कृपया इसे प्राथमिकता दी जाय।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी,
ह0/–
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

ज्ञांपाक – 1013 दिनांक – 10/09/21

प्रतिलिपि – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/09/21
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

10/09/2021

CF Sir Forwading)